परम आदरणीय श्रद्धेय प्रधान मंत्री जी, भारत सरकार

एवं

आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी, भारत सरकार

एवं सभा में उपस्थिति समस्त महानुभावान!

देश के लिये यह निश्चित रूप से ऐतिहासिक क्षण है जब हम सब ग्राम स्वराज्य के लिये चिन्तन मनन और निर्णय लेने के लिये प्रेरणापूर्वक एकत्र हुये है। मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि राष्ट्र के इतिहास में ही नहीं वरन पूरे विश्व के इतिहास में यह ऐतिहासिक क्षण अंकित होगा। जब हमने ग्राम स्वराज्य की दिशा में कदम बढ़ाये है दरअसल प्राकृतिक रूप से दो ही मानवीय संगठन धरती में दिखाई देते है पहला परिवार एवं दूसरा गांव, इनमें एक समाज की इकाई है और दूसरी व्यवस्था की। ये जब तक अव्यवस्थित है तब तक सम्पूर्ण मानव जाति पीडा भोगेगी।

मानव जन्म से ही कल्पनाशील एवं कर्म स्वतन्त्र है इन दोनों की त्रृप्ति विन्दु ग्राम स्वराज्य में ही है। जब तक हमारा प्रत्येक गांव पूर्ण स्वावलम्बी, स्वायत्त, पूर्ण शिक्षित एवं बेरोजगार विहीन नहीं हो जाता तब तक व्यवस्थिति समाज एवं समृद्धशाली राष्ट्र की कल्पना करना सम्भव नहीं है। प्रत्येक मानव जन्म से ही सुख, शान्ति, एवं समृद्धि का अभिलाषी है जो बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि के साथ-साथ मनुष्य एवं मनुष्येत्तर प्रकृति के साथ सम्बन्ध की पहचान होने एवं सम्बन्ध निर्वाह करने पर पूरी होती है।

समग्र ग्रामीण विकास हेतु यह महती आवश्यकता है कि ऐसी लोक शक्ति का निर्माण हो जो स्वयं अपनी समस्यांओं को दूर करे एवं स्वयं ही स्थानीय प्रबन्धन कार्य को करते हुये स्वालम्बन पूर्वक समाज निर्माण की दिशा में कार्य करें। पंचायती राज व्यवस्था के सम्पूर्ण कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की समिति बनाने एवं उन्हें अधिकार देने का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। मनुष्य समझदार होकर ही उपरोक्त कार्यों को कर पाता है। जब तक समझदार नहीं होता तब तक समस्या का ही कारक होता है। समझदार मनुष्य भोग, संग्रह, शोषण, विरोध और विद्रोह मानसिकता से मुक्त होकर न्याय पूर्ण व्यवहार करने की क्षमता सम्पन्न होता है एवं मानवीय व्यवस्था के सभी आयामों में भागीदारी करता है।

सौभाग्य से संविधान में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्राविधानित किये हैं किन्तु राज्य सरकार का विषय होने के कारण यह अधिकार पंचायतों को हस्तांतरित नहीं किये गये। उत्तर प्रदेश में आधा काम होने पर भी उसे पुनः वापस ले लिया गया और

11वीं अनुसूची के एक भी विषय के सम्पूर्ण अधिकार पंचायतों को नहीं हैं। यह सत्य है कि ग्राम वासियों को पंचायतों के प्रति एक विशेष प्रकार की उदाशीनता का भाव व्याप्त है जो कि न तो नकारात्मक है और न ही सकारात्मक । यह वैसी ही है जैसी कि अन्य सरकारी कार्यक्रमों के प्रति है। अर्थात पंचायत को या प्रधान को शासन का एक अंग मानकर जनता एक निश्चित दूरी बनाये रखना चाहती है।

हमने अपने राष्ट्र को परम वैभव तक पहुँचाने के लिये बहुत प्रयास किये हैं कई मार्गों को अपनाया है आजादी के 53 वर्षों के पश्चात सरकारों के द्वारा अकूत धनसम्पदा व्यय करने के बावजूद जो वांक्षित परिणाम (आत्म निर्भर) मिलना था नहीं मिला आज भी प्रत्येक गांव विभिन्न समस्यांओं से जूझ रहे है जो निम्नवत है -

1. सामान्य आधारभूत सुविधाओं की समस्यायें।
2. उत्पादन सम्बन्धी समस्यायें।
3. स्वास्थ्य एवं संयम सम्बन्धी समस्यायें।
4. विनिमय सम्बन्धी समस्यायें।
5. न्याय सम्बन्धी समस्यायें।
6. शिक्षा संस्कार समबन्धी समस्यायें।

उपरोक्त समस्याओं की विद्यमानता का मूल कारण परम्परा में उपलब्ध समझदारी जो ज्ञान विज्ञान, धर्म एवं राज्य के रूप में जानी जा रही है वह सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में सूत्रित नहीं हो पायी। इसका मुख्य कारण है कि ग्रामों के उत्थान हेतु समन्वित प्रयास नहीं किया गया। दूसरा मुख्य कारण है कि ग्राम वासियों एवं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना ही योजनायें बनायी गयीं परिणामत: न तो ग्रामवासी व्यवसाय में स्वावलम्बी हुये और न ही व्यवहार में सामाजिक हो पाये फलत: प्रत्येक ग्राम आत्म निर्भर नहीं हो पाया। दिशा विहीन शिक्षा, संस्कार, राजनीतिक व्यवस्था व संविधान के कारण ग्राम वासी भी वर्ग, सम्प्रदाय, जाति, दल आदि में बंट गये अत: स्पष्ट है कि जन मानस सम्मत संविधान और शासन कार्य की परस्परता में अर्न्तविरोध है।

आजादी के उपरान्त परस्पर भाईचारा, परस्पर सहयोग, सहकारिता, एवं विश्वास अधिक क्षतिग्रस्त होता गया। इसी कारण कुंठा, निराशा, परस्पर संघर्ष, नशा खोरी, वैमनष्यता व विध्वंशकारी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं। तथा शिक्षा संसकार परम्परा का मानवीय व्यवस्था हेतु दिशा विहीन होने के कारण नौकरी और व्यापारिक मानसिकता में वृद्धि हुयी है। हमनें पश्चिम के

वैज्ञानिक अनुसंधान, मशीनीकरण, वस्तुओं के संग्रह और भोग प्रवृत्तियों के आधार पर उनकों अगुवा व श्रेष्ठ मान लिया। फलस्वरूप यांत्रिकता लाभोन्मादी, भोगोन्मादी, कामोन्मादी प्रवृत्तियों ने मानव परम्परा को और अधिक भ्रमित किया। भ्रम कभी भी व्यवस्था का सूत्र और आधार नहीं होता इसी कारण प्रत्येक मनुष्य में शुभकामना होते हुये भी विपरीत फल होता रहा जैसे अभी गणतंत्र जैसी शुभकामना होते हुये भी वोट, नोट, बटवारा, सन्तुष्टि व असन्तुष्टि को ही दलगत राजनीति व कूटनीति का आधार मानने के फलस्वरूप सर्वाधिक लोग पीडित हुये। इसी तरह समानता एवं धर्म निरपेक्षता जैसी मंगल कामना होते हुये भी सैकडों जाति, मत, सम्प्रदाय, वर्गो, पथों का होना राष्ट्रीय चरित्र की विफलता और पीडा का कारण हुआ।

भारत का भविष्य ग्रामों एवं ग्रामवासियों के विकास में सन्निहत है। इस सत्य को न तो संविधान न ही राज्य व्यवस्था और न ही शिक्षा नीति में स्वीकारा गया। ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया गया जिससे लोगों में ग्राम व ग्राम्य जीवन के प्रति विश्वास और निष्ठा पैदा हो सके। अभी तक किये गये प्रयासों से हस्तशिल्प, ग्राम शिल्प, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग पनप नहीं पाये वरन नष्ट प्राय हो गये। इसका प्रधान कारण गांव को आत्मनिर्भर बनाने की विधि को अपनाया नहीं जाना और विनिमय कार्य को श्रम मूल्य के अनुरूप मूल्यांकन करने वाली प्रणालियों से सुसम्बद्ध नहीं किया जाना रहा।

वर्तमान में प्रभावशाली राज्य शासन व्यवस्था के अनुसार ग्रामवासियों को न्याय सुलभ नहीं हो पाया और न ही उन्हें सार्वभौम न्याय के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही उत्पादन के साथ-साथ विनिमय सुलभता आसानी से नहीं उपलब्ध होने के फलस्वरूप ग्रामवासी लाभोन्मादी व्यवस्था के अनुरूप सेठों व व्यापारियों के चुगुंल में पडकर अपने उत्पादों को कम दामों में बेचने के लिये विवश हो गये। इस तरह निरन्तर शोषित होते रहे।

हमारी शिक्षा व्यवस्था आरम्भ से ही दोष पूर्ण रही इसनें मानवीय व्यवहारवादी संचेतना के स्थान पर लाभोन्मादी, भोगोन्मादी संचेतना उत्पन्न की सन् 1947 में राज्य सत्ता हस्तान्तरित होने के बाद भी राष्ट्रीय शिक्षा उत्पादोन्मुखी एवं व्यवहारोन्मुखी नहीं हो पायी। इसके विपरीत शिक्षा से नौकरी और व्यापार की मानसिकता में अधिकाधिक वृद्धि हुयी है। सरकार की आरक्षण नीति भी नौकरी की मानसिकता को अधिक अभिव्यक्त एवं प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार जो ग्रामीण बालक मिडिल स्कूल पढ गया उसे अपने ग्रामीण होने पर घृणा होने लगती है। कृषि विज्ञान शिक्षा गृहण करने के पश्चात भी नौकरी करना पसंन्द करता है परणिाम यह हुआ कि नौकरी की वांछा लेकर शहरों की ओर पलायन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती गयी। गांव

उजडते गये और शहर आबाद होते गये इन सब की प्रतिक्रिया स्वरूप ग्रामीणों में शिक्षा के प्रति वितृष्णा पैदा होने लगी। वे सरकार और शहरी लोगों पर अविश्वास करने लगे तथा सरकारी योजनाओं को संसय की दृष्टि से देखने लगे। शिक्षा गृहण करने के पश्चात प्रत्येक बालक पारिवारिक सम्बन्धों के प्रति उदासीन एवं राष्ट्रीयता के प्रति कर्तब्य विमुख हो गये। फलत: ग्रामीणों की दृष्टि में आगन्तुक जैसे हो गये और सामाजिक नहीं रहे।

यदि ग्रामीण जीवन को सफल बनाना है तो अपनी शिक्षा संविधान राज्य व्यवस्था सम्बन्धी दृष्टिकोण में अमूल परिवर्तन करना होगा व ऐसा विकल्प खोजना होगा जो प्रत्येक ग्रामवासी को स्वराज्य व स्वतंत्रता सर्व सुलभ करा सके।

विकल्प और उसका श्रोत :- हमें विकल्प के रूप में अस्तित्तव मूलक मानव केन्द्रित चिन्तन प्राप्त हो गया है जिसमें मनुष्य ही अध्ययन का प्रधान केन्द्र है तथा अध्ययन करने वाला व धारक वाहक मनुष्य ही है। राज्य व धर्म के मूल में भी मनुष्य ही वस्तु है इस विधि से प्रत्येक मनुष्य की पहचान व मूल्यांकन परिवार में होना पाया जाता है जिसके फलस्वरूप सर्वतोन्मुखी समाधान सुलभ हो जाता है अस्तु जो विकल्प सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण के रूप में हमें उपलब्ध हुआ है उसी के अनुसार परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था योजना को मानवीय परम्परा स्थापना हेतु प्रेषित है फलत: राज्य का परिवार मूलक सूत्र से सम्बद्ध होना स्वाभाविक हो जाता है।

ग्राम स्वराज्य की अवधारणा :- अखण्ड समाज का आधार ग्राम स्वराज्य है। ग्राम स्वराज्य की मूल इकाई परिवार है और यह परिवार ही मानवीयता पूर्ण व्यवस्था का सूत्र है। मानवीयता स्वयं स्वराज्य एवं स्वतन्त्रता का स्वरूप है स्वराज्य का तात्पर्य न्याय सुलभता, उत्पादन सुलभता एवं विनिमय सुलभता की स्थिति को प्राप्त करना है। स्वतन्त्रता का अर्थ व्यक्ति को स्वानुशासित सहज प्रामाणिकता एवं समाधान पूर्वक अभिव्यक्त सम्प्रेषित एवं प्रकाशित होने से है जो अस्तित्व रूपी सत्य को जानने एवं मानने से है अर्थात अस्तित्व में परस्पर सम्बन्धों को पहचानने व मूल्यों के निर्वाह करने से है। अस्तित्व में प्रत्येक मनुष्य मानवत्व सहित व्यवस्था है एवं समाज व्यवस्था में भागीदार है। इसका प्रत्यक्ष रूप स्वतन्त्रता के रूप में स्वयं में व्यवस्था एवं स्वराज्य के रूप में समग्रता के साथ भागीदारी है। मानव परम्परा में स्वयत्ता का स्वरूप स्थिति में स्वतन्त्रता एवं गति में स्वराज्य है। यही मानवीय संविधान का सूत्र है। ग्राम स्वराज्य का अंतिम लक्ष्य अखंण्ड समाजिकता की स्थापना करना है जिसमें प्रत्येक मनुष्य को बौद्धिक समाधान व भौतिक समृद्धि, अभयता व सहअस्तित्व सार्वभौम रूप में सहज सुलभ हो।

ग्राम पंचायत का चयन :- वर्तमान ग्राम पंचायत निर्वाचन पद्धति पूर्णतया दोष पूर्ण एवं बुराइयों को पैदा करने वाली है। ग्राम पंचायत निर्वाचन की एक सहज प्रजातांत्रिक सर्व प्रतिनिधित्व पूर्ण व्यवस्था की योजना निम्नवत है :-

ग्राम सभा के प्रत्येक परिवार से परिवार मुखिया के रूप में सर्व प्रथम एक व्यक्ति को चिन्हित किया जाय जो मानवीय आचरण पर व्यवहार करने वाला तथा सह अस्तित्व की भावना के आधार पर व्यवहार करने वाला हो। इस प्रकार 10 परिवारों के प्रधानों (परिवार मुखिया) से मिलकर एक ''परिवार समूह सभा'' का गठन किया जायेगा। ऐसे प्रत्येक 10 ''परिवार समूह सभा'' से एक व्यक्ति को ग्राम सभा के लिये चयनित किया जायेगा। इसी प्रकार 10 परिवार समूहों से चयनित 10 सदस्य स्थानीय ग्राम सभा का गठन करेगें। जिसमें से एक ग्राम सभा का प्रधान होगा सामान्यतया 100 (एक सौ) परिवार मिलकर एक ''ग्राम स्वराज्य सभा'' का गठन करेगें। जिसमें 10 चयनित सदस्य होगें। यदि किसी ग्राम में 100 (एक सौ) परिवार से ज्यादा जनसंख्या है तो उसी 10 के गुणांक में उस ग्राम सभा के सदस्य होगें। जैसे यदि गांव की जनसंख्या 2000 है तो उस ग्राम सभा में 20 सदस्य होगें।

इस प्रकार बिना किसी अवरोध के ग्राम स्वराज्य सभा का गठन निर्विवादविधि से सम्भव है।

चयनित सदस्यों की अर्हता :- परिवार से लेकर ग्राम सभा तक प्रत्येक चयनित सदस्य की अर्हता निम्न होगी :-

1. उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होगी।
2. वह जीवन विद्या व वस्तु विद्या से परिपूर्ण होगा और व्यवसाय में स्वावलम्बी व व्यवहार में सामाजिक होगा।
3. मानवीय आचरण (स्वधन, स्वनारी/स्वपुरूष, दयापूर्ण कार्यव्यवहार) के रूप में वर्तमान में व्यवहार करता होगा।

कार्यक्षेत्र :- ग्राम सभा का कार्य 100 परिवारों के साथ होगा उसका भूक्षेत्र ग्राम सीमा तक होगा। ग्राम सीमावर्ती क्षेत्र की समस्त भूमि, वन व वनसम्पदा, खनिज, जलश्रोत, पशुधन व अन्य सम्पदायें ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में होगीं। ग्राम सभा सामान्यत: ग्राम के सभी परिवारों का प्रतिनिधित्व करेगी।

कार्यकाल :- ग्राम सभा पॉच वर्ष के लिये चयनित होगी। हर पॉच वर्ष बाद परिवार व परिवार

समूह सभा को अपने-अपने प्रधानों को फिर से चयनित करने का अधिकार होगा। हर परिवार समूह सभा के 10 सदस्यों को ग्राम सभा में फिर से नये सदस्यों को चुनने का अधिकार होगा।

कार्यशैली :- प्रत्येक ग्राम सभा ग्राम स्वराज्य व्यवस्था को स्थापित करने के लिये निम्न पॉच समितियों का गठन करेगी :-

1. मानवीय संसकार शिक्षा समिति।
2. उत्पादन कार्य व सलाहकार समिति।
3. सहकारी विनिमय कोष समिति।
4. स्वास्थ्य या संयम समिति।
5. मान्वीय न्याय सुरक्षा समिति।

कर्तब्य व दायित्व :-

1. ग्राम सभा पूर्णरूप से ग्रामवासियों के प्रति उत्तरदायी होगी साथ ही वह ग्राम समूह सभा के प्रेरणा व उनके द्वारा किये गये सुझावों पर निर्णय लेगी।
2. सर्वेक्षण, आंकलन, व अध्ययन के आधार पर प्रत्येक परिवार के लिये समयबद्ध स्वराज्य कार्य योजना बनायेगी व क्रियान्वयन के लिये विभिन्न समितियों को आवश्यक निर्देश देगी।
3. ग्राम की पॉचों समिति के साथ उनके अपने-अपने लक्ष्य प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग देगी। व उनके लिये जो भी सुविधायें तकनीकि ज्ञान आदि की आवश्यकता होगी उसे उपलब्ध करायेगी।
4. विनिमय कोष व सहकारी बैंक के बीच संयोजन का कार्य करेगी।
5. पॉचों समितियों के कार्यो का समय-समय पर मूल्यांकन करेगी।
6. सर्वेक्षण, आंकलन, अध्ययन व प्राथमिकताओं के आधार पर ग्राम में सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगी। इस दिशा में यदि किसी समिति व अन्य संस्थाओं के सहयोग की आवश्यकता हुयी तो उसे प्राप्त करेगी।
7. निम्न समान्य सुविधाओं की व्यवस्था ग्राम सभा द्वारा की जायेगी।
    1. प्रत्येक परिवार के लिये आवास का प्राविधान।
    2. शस्ती शोधन विधि द्वारा शुद्ध व पवित्र पीने के पानी की व्यवस्था।
    3. जल, मल निकास की व्यवस्था।

4. कृषि के साथ पशुपालन आवश्यक होने के कारण गोबर गैस प्लान्ट, एवं उद्यानीकरण के लिये प्रोत्साहित करना।

5. गोबर खाद व कम्पोस्ट खाद के लिये व्यापक व्यवस्था करना।

6. सौर ऊर्जा का सर्वाधिक प्रयोग करने की प्रणाली विकसित करना ताकि उसका उपयोग पानी निकालने, खाना पकाने, वाष्पीकरण, अनाज सुखाने, ठंडा, या गर्म करने के लिये किया जा सके जिससे लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि ईधनों को जलाने से रोका जा सके। इसी सम्दर्भ में पवन चक्की व जल प्रवाह शक्ति की उपयोगिता का पता लगाना एवं क्रियान्वयन करना।

7. प्रत्येक घर के साथ शौचालय व सामूहिक शौचालय की व्यवस्था करना।

8. सड़क मार्ग, रेल यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना व निकट की मण्डियों व बजारों को सड़कों से जोडना।

9. दूरभाष व दूर संचार सेवा, डाकघर, बैंक आदि की व्यवस्था करना।

10. ग्राम के लिये पाठशाला, चिकित्सा केन्द्र, विनिमय कोष के लिये भवन, गोदाम, बहुउद्देशी भवन की व्यवस्था करना। जो न्याय सभा, सम्बोधन सभा, सांस्कृतिक सभा, विवाह व मिलन सभा, प्रार्थना सभा, स्वागत सभा, व छाया के अन्दर खेलने के लिये उपयोगी रहेगा।

परिवार समूह व परिवार प्रधान के कर्तब्य व दायित्व :-

1. परिवार मुखिया सदस्यों के साथ व्यवहार व आचरण के लिये प्रेरणास्रोत बने रहेगें।

2. परिवार प्रधान परिवार के अन्य सदस्यों का मूल्यांकन करेगें। परिवार प्रधान का मूल्यांकन परिवार समूह सभा करेगा। आचरण के लिये मूल्यांकन का आधार स्वधन, स्वनारी/स्वपुरूष व दयापूर्ण कार्य व्यवहार होगा। व्यवहार के मूल्यांकन का आधार मानव व नैसर्गिक सम्बन्धों व उनमें निहित मूल्यों की पहचान व निर्वाह से है।

3. परिवार में किसी से गलती होने की स्थिति में सुधारने का कर्तब्य परिवार के सभी सदस्यों का होगा। इसमें परिवार मुखिया उभयपक्षीय प्रेरक का कार्य करेगा।

4. परिवार में यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष योग्यता, हस्तकला, हस्तशिल्प, कृषि व अन्य तकनीकी या साहित्यकला में माहिर है तो यह जानकारी भी परिवार प्रधान ग्राम की सम्बन्धित समिति को उपलब्ध करायेगा।

5. परस्पर परिवारों के विवादों व उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण का दायित्व उन परिवार के प्रधानों व परिवार समूह सभा का होगा। परिवार समूह सभा द्वारा विवाद हल न होने की स्थिति में ही विवाद न्याय सुरक्षा समिति के पास जायेगा।

उपरोक्त योजनान्तर्गत आपके द्वारा प्रेषित पंचायती राज्य व्यवस्था विषयक एजेण्डा मे सभी मुद्दे समाधानित होते है।

सर्व शुभकामनाओं सहित!

भवदीय

सुशील सिंह

(सुशील सिंह) प्रधान,

ग्राम पंचायत-बडोखर खुर्द,

जनपद- बांदा (उ0प्र0) 210001

फोन नं0 - 05192-27368, 81262

मध्यस्थ दर्शन (सह-अस्तित्ववाद) के आधार पर अस्तित्व मूलक मानव केन्द्रित चिन्तन द्वारा परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य योजना के प्रणेता पूज्यनीय श्री ए0 नागराज जी हैं। दर्शन शास्त्र एवं योजना विषयक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न स्थानों पर सम्पर्क कर परामर्श एवं मूल्यांकन किया जा सकता है -

1. श्री ए0 नागराज (प्रणेता-मध्यस्थ दर्शन 'सह-अस्तित्ववाद'), श्री भजनाश्रम, पोस्ट-अमकंटक, जिला- शहडोल (म0प्र0) पिन-484886 फोन नं0 07629-69407
2. श्री रणसिंह आर्य, जीवन विद्या प्रतिष्ठान, गोविन्दपुर (खारी झालू) जिला-विजनौर (उ0प्र0) फोन 01342-87511, 87060
3. श्री गणेश बागडिया, मानवीय शिक्षा संस्कार संस्थान, श्री वानखण्डेश्वर मन्दिर के पास मंधना, पिन 209217 कानपुर (उ0प्र0) फोन - 0512-700780,
4. श्री प्रेम सिंह, मानवीय शिक्षा संस्थान, ग्राम पोस्ट बडोखरखुर्द, जिला-बांदा 210001 फोन 05192-27368, 81262